न्यायालय उपखण्ड अधिकारी रेलमगरा जिला राजसमन्द

(पीठासीन अधिकारी, दिव्याशु शर्मा, आर0ए0एस0)

करण संख्या – 13 / 2018
दर दिनांक – 10 / 08 / 2018
र्णय दिनांक – 06 / 03 / 2020

अनवान

1. कन्तुरचन्द पिता चुन्नी लाल जाति महाजन, निवासी पछमता, हाल निवासी निम्बाहेडा जिला चित्तौडगढ।
2. अशोक कुमार पिता धनराज (महेश) जाति माहेश्वरी, निवासी पछमता ,तहसील रेलमगरा जिला राजसमंद।

अपीलाण्ट

बनाम

1. ग्राम पंचायत पछमता जरिये सरंपच ग्राम पंचायत पछमता, तहसील रेलमगरा,
2. नाथी पिता दौलतराम पत्नि बाबूलाल जाति महाजन, निवासी पछमता हाल निवासी प्रेरणा नगर , निम्बाहेडा, तहसील निम्बाहेडा
3. मंजू दौलतराम पत्नि कैलाश चन्द्र बागड जाति महाजन निवासी पछमता हाल निवासी मु.पो. जावद जिला मंदसौर, मध्यप्रदेश।
4. धापु पिता दौलतराम पत्नि कैलाश चन्द्र बिडला जाति महाजन , निवासी पछमता, हाल निवासी प्लाट नंम्बर 504, श्रीपल सोसाइटी, माहेश्वरी भवन के सामने सीटी लाइट रोड, सुरत,
5. प्रेमी देवी पत्नि रामलाल जाति गाडरी निवासी पछमता तहसील रेलमगरा
6. मोहनी देवी पत्नि रामचन्द्र जाति गाडरी निवासी पछमता तहसील रेलमगरा
7. शंकरी बाई पत्नि जवाहरमल जाति जाट निवासी पछमता तहसील रेलमगरा
8. प्यारी बाई पत्नि सुरजमल जाति जाट निवासी पछमता तहसील रेलमगरा
9. मीना (बीना) पुत्री धनराज(महेश) पत्नि राधेश्याम राठी जाति महाजन, निवासी पछमता हाल निवासी फलेट नम्बर 903 , राजमहल कामप्लेक्स , मुन लाइट के सामने वेषु, सुरत गुजरात।
10. ब्रजलता पुत्री धनराज (महेश) पत्नि कमल किशोर डांगा जाति महाजन निवासी पछमता हाल निवासी एफ 303 गायत्री पेलैस पुना कुभारिया रोड , सुरत गुजरात।
11. पुष्पा पुत्री धनराज(महेश) पत्नि अनिल राठी जाति महाजन , निवासी पछमता हाल निवासी सी 1204, बचपन रेजिन्डेसी , कनोल रोड , सुरत गुजरात ।
12. कुलदीप पिता धनराज(महेश) जाति महाजन निवासी पछमता तहसील रेलमगरा
13. सोनु पिता धनराज(महेश) जाति महाजन निवासी पछमता हाल निवासियान फलेट नम्बर डी 36, बी 107, अक्षर टाउन शिप पुणा कुभारिया रोड , सुरत गुजरात ।

रेस्पोडेंट

अपील विरूद्ध नामान्तरकरण सं. 805 ग्राम पछमता द्वारा ग्राम पछमता तहसील रेलमगरा

: निर्णय :

सहायक कलक्टर
(उपखण्ड अधिकारी)
रेलमगरा

अपीलाण्ट ने जरिये अधिवक्ता अपील विरूद्व नामान्तरकरण संख्या 805 द्वारा ग्राम पंचायत पछमता के प्रस्तुत की गयी कि अधिनस्थ न्यायालय ग्राम पंचायत पछमता ने उक्त नामान्तरकरण सं. 805 को स्वीकृत करने में विधि एवं तथ्यों की भारी अवहेलना की है। वर्तमान जमाबन्दी संख्या 467 में आराजी संख्या 422 रकबा 05 बीघा0 5 बीस्वा है। वर्तमान जमाबन्दी संख्या 94 में आराजी संख्या 860, 867, 868 कुल किता 03 रकबा 04 बीघा 12 बीस्वा है। वर्तमान जमाबन्दी संख्या 269 में आराजी संख्या 808, 809, 810 कुल किता 03 रकबा 05 बीघा 15 बीस्वा है। कलम संख्या 02, 03 व 04 में वर्णित आराजीयात में अपीलाण्ट 01 के काकाजी, अपीलाण्ट संख्या 02 के दादाजी की पैतृक सम्पत्ति है जिसमें अपीलाण्ट एवं रेस्पोडेण्ट की पैतृक सम्पत्ति होने से अपीलाण्ट 01 के काकाजी, व अपीलाण्ट 02 के दादाजी की मृत्यु सन् 2004 को हो चुकि है। स्व. मोहन लाल की मृत्यु हुई उस समय पटवारी हल्का पछमता ने नामान्तरण संख्या 805 दिनांक 29/09/2004 को दौलतराम, धनराज व कस्तुरचन्द का सजरा बनाकर नामान्तरकरण भरा। लेकिन दौलतराम ने ग्राम पचांयत से मिलीभगत कर बाले–बाले अपने नाम पर खुलवा लिया। उसके पश्चात दौलतराम की मृत्यु के पश्चात यह नामान्तरण रेसोडेण्ट संख्या 02, 03 व 04 के नाम पर खुल गया जो कि स्व. दौलतराम की पुत्रीया है। दौलतराम ने अपने जीवनकाल में ही रेस्पोडेण्ट संख्या 05, 06, 07 व 08 को कुछ भूमिया विक्रय कर दी। शेष भूमि पर हमारा कब्जा है वो भी रेस्पोडेण्ड 02, 03 व 04 बेचने पर आमादा है, जिस पर अपीलाण्ट का कब्जा चला आ रहा है। पटवार हल्का पछमता द्वारा नामान्तरण संख्या 805 दिनांक 29/09/2004 को सजरा बना कर भरा गया अतंकाल की कलम सख्या 09 में दौलतराम, धनराज, कस्तुरचन्द पिता चुन्नीलाल महाजन हिस्सा बराबर सा. देह खातेदार अंकित है। अतंकाल की कालम सख्या 14 में विरासत खातेदार मोहन लाल पिता नाना लाल फौत 04 माह, बाद बिना मृत्यु प्रमाण पत्र के नामान्तरण भरा गया। पटवारी हल्का द्वारा उक्त नामान्तरण भर कर ग्राम पंचायत में पेश किया गया ग्राम पंचायत द्वारा निर्णय पुरे कोरम में फैसल किया । दौलतराम ने एक वसियत पत्र पेश किया बसियत पत्र कब्जे के आधार पर दौलतराम पिता चुन्नी लाल ने नाम पर रदौबदल करने कि स्वीकृति पूरे कोरम द्वारा सर्वसम्मति से दी जाती है उक्त निर्णय ग्राम सेवक द्वारा लिखा गया । किन्तु अन्तकाल के साथ कोई वसियत पेश नहीं है न ही वसियत कि दिनांक अंकित है, न ही पंचायत कोरम कि दिनांक अंकित है। ग्राम पंचायत द्वारा उक्त नामान्तरकरण किस दिनांक को फैसल किया गया वो भी अंकित नही है जबकि नामान्तरकरण फैसल कि दिनांक होना अनिवार्य है। पटवार हल्का पछमता द्वारा नामान्तरण भरते समय न ही मृत्यु प्रमाण पत्र पेश किया

सहायक कलक्टर
उपखण्ड अधिकारी
रतनगढ़

गया, न ही दौलतराम द्वारा कोई वसियत पेश की होती तो पटवारी द्वारा नामान्तरकरण वसियत के आधार पर भरा जाता। बल्कि विरासत के आधार पर सजरा बनाकर भरा गया। इससे यह जाहिर होता है कि दौलतराम द्वारा ग्राम पंचायत से मिली भगत कर बिना कोरम नामान्तरण फैसल किया गया । मोहन लाल के कोई सन्तान नहीं होने से मोहन लाल की सम्पत्ति दौलतराम, धनराज एवं कस्तुर चन्द ने आपस में सुविधा अनुसार विभाजन कर दिया। तब सें अपीलाण्ट व रेस्पोडेण्ट अपने–अपने हिस्से अनुसार निर्विग्न कब्जे काश्त करते चले आ रहे। अपीलाण्ट का वादग्रस्त आराजीयात पर आधिपत्य है आज से एक माह पुर्व अपीलाण्ट के खेत पर रेस्पोडेण्ट संख्या 02, 03 व 04 द्वारा दखलन्दाजी की इस जमीन पर तुम्हारा कोई हक अधिकार नहीं है और अपीलाण्ट से लडाई–झगडा करने लगे तब अपीलाण्ट ने राजस्व रिकॉर्ड जमाबन्दी संख्या 373 संवत् 54 से 57 कि दिनांक की नकल 30/07/2018 को प्राप्त कि व वर्तमान जमाबन्दी 01/08/2018 को प्राप्त किया। अपीलाण्ट ने अपील पेश करने हेतु कोई जानबुझ कर देरी व लापरवाही नहीं फिर भी समयावधि कन्डोम करने हेतु धारा 03 व 05 का मयाद अधिनियम का प्रार्थना पत्र अपील के साथ अलग से प्रस्तुत किया जा रहा है । जो अपील का अभिन्न अंग है। अपील प्रस्तुत करने का हेतुक जब रेस्पोडेण्ट संख्या 02, 03 व 04 के पिता द्वारा अवैध तरीके से उक्त नामान्तरकरण अपने नाम पर तस्दीक करवा दिया तथा आज से एक माह पूर्व अपीलाण्ट के खेत में रेस्पोडेण्ट 02, 03 व 04 द्वारा अपीलाण्ट के कब्जे काश्त में दखलन्दाजी की गई तो अपीलाण्ट द्वारा दिनांक 01/08/2018 को राजस्व रेकार्ड की नकले प्राप्त की तब से उत्पन्न होकर निरन्तर जारी है। अतः श्रीमान् से प्रार्थना है कि अपील अपीलाण्ट स्वीकार फरमाई जाकर अधिनस्थ न्यायालय द्वारा खोला गया नामान्तरकरण संख्या 805 ग्राम पचांयत पछमता का निर्णय निरस्त फरमाया जावें। एवं नये सिरे से नामान्तरकरण अपीलाण्ट के हिस्सेनुसार खोले जाने का आदेश प्रदान कराया जावें।

इस पर पत्रावली दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोडेन्टस को जरिये सम्मन तलब किया गया। रेस्पोन्डट संख्या 01 द्वारा प्रस्तुत नही करने से जवाब का अवसर बन्द किया गया। रेस्पोडेन्ट संख्या 09 से 13 बावजूद सूचना अनुपस्थित रहने से एक तरफा कार्यवाही की गयी। रेस्पोडेन्ट संख्या 02 से 08 द्वारा धारा 05 मयाद अवधि अधिनियम का जवाब प्रस्तुत किया कि कॉलम सख्या 01 का विवरण अस्वीकार है तथा अपीलान्ट द्वारा रेस्पोडेण्ट के विरूद्ध उक्त अपील प्रस्तुत कि गई है जो जुठे एवं मनगढन्त तथ्यो पर प्रस्तुत कि गई है तथा उक्त अपीलान्ट के द्वारा उक्त अपील में सारे तथ्य छिपा कर प्रस्तुत कि गई है अपील के साथ में अपीलान्त द्वारा धारा 05 का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत

सहायक कलक्टर
(उपखण्ड अधिकारी)
रेलमगरा

किया गया है जिसमें अपील देरी बाबत् किसी भी प्रकार से कोई कारण वर्णित नहीं किया गया है मात्र अपीलान्ट द्वारा यह तथ्य वर्णित किया गया है कि अपीलान्ट के रिस्पोडेण्ट के 01 माह पुर्व लडाई जगडे करने लगे। उक्त लडाई जगडे अपील के बीच किसी भी प्रकार से कोई सम्बन्ध नहीं है अपीलान्ट के द्वारा वर्ष 2004 में खोले गए नामान्तरण सख्या 805 की अपील आप न्यायालय में प्रस्तुत कि गई है जबकि उक्त अवधि को लगभग 15 वर्षो से भी अधिक समय बित चुका है इन 15 वर्षो की देरी बाबत् अपीलान्ट के द्वारा किसी भी प्रकार से कोई कारण दर्शीत नहीं किया गया है जबकि अपीलान्ट को प्रतिवर्ष यानी प्रत्येक दिन का देरी का बताना आवश्यक है इस लम्बी अवधी की देरी कारण कन्डोन नही किया जा सकता है इसलिए अपीलान्ट के द्वारा उक्त अपील मियाद के अन्दर प्रस्तुत नही कि गई है जिससे अपील खारिज होने योग्य है क्या अपीलान्ट का धारा 05 का प्रार्थना पत्र स्वीकार योग्य नहीं होने से भी अपील खारिज होने योग्य है प्रार्थना पत्र कि कॉलम सख्या 02 में वर्णित प्रार्थना पत्र का मुल्याकंन भी कम अकिंत किया है जिससे भी अपील खारिज होने योग्य है अतः अपील अपीलान्ट सव्यय खारिज फरमाया जावें।

अभय पक्ष अधिवक्ता की बहस सुनी गई। पत्रावली एवं उपलब्ध रेकार्ड का अवलोकन किया गया। पत्रावली के अवलोकन से जाहिर आया कि वादग्रस्त भूमि अपीलाण्ट्स की पैतृक सम्पत्ति होकर उनका हिन्दुउत्तराधिकार अधिनियम के तहत वादग्रस्त भूमियों में समान हक अधिकार है किन्तु ग्राम पंचायत द्वारा कब्जा एवं वसीयत को आधार मानते हुए नामान्तरकरण संख्या 805 रेस्पोडेण्ट्स के नाम खोल दिया गया जबकि वसीयत सम्बन्धित कोई दस्तावेज पत्रावली पर उपलब्ध नही कराया गया है। ऐसी स्थिति में ग्राम पंचायत द्वारा निर्णित किया गया नामान्तरकरण न्याय संगत होना प्रतीत नही होता है।

अतः अपील अपीलाण्ट्स स्वीकार की जाकर ग्राम पंचायत पछमता द्वारा निर्णित नामान्तरकरण संख्या 805 को निरस्त किया जाकर तहसीलदार रेलमगरा इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि प्रकरण में मोहनलाल पिता नानालाल महाजन के विधिक वारिसान की जांच की जाकर नये सिरे से नामान्तरकरण दर्ज किये जाने की कार्यवाही करें। पालनार्थ तहसीलदार रेलमगरा को लिखा जावें। पत्रावली फैसल शुमार हो नम्बर से कम की जावें।

निर्णय आज दिनांक 06/03/2020 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर सरे ईजलास सुनाया गया।

(दिवांशु शर्मा)
सहायक कलक्टर
उपखण्ड अधिकारी
रेलमगरा